



प्रवीण कुमार दाबड़ा वगैरा बनाम हरचरणसिंह
अपील प्रकरण सं. 61 / 2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
30.09.14	वकील अपीलान्ट उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील में मियाद के बिन्दू पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जाती है। रेस्पोंडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब हो। पत्रावली दिनांक 29-10-14 को पेश हो।	N.J. 1938 7.10.14
29/10/14	बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण अज अतिरिक्त उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी शपथपत्र का रिवाज गये हैं। पत्रावली दिनांक 24/11/14 को पेश हो।	हरचरणसिंह
24.11.14	पीठासीन अधिकारी अम्बकरा भन्सरा N.P. का कार्य में व्यस्त है। पक्ष काशन के अभिलेख उपस्थित हैं। पत्रावली दिनांक 26.12.14 को पेश हो।	R.N. 1 से 5 के नोटिस बाद जारी किया। अपील सं. 01 की ओर की श्री पीठास न्यायालय में वकालतनामा पेश किया।
26.12.14	अपीलान्ट 4 इश्ये. सं. 01 के अतिरिक्त 05 01 अप्रार्ची सं. 2 से 5 उप. नही अप्रार्ची सं. 6 से 8 को जारी नोटिस बाद / अवस लामील - अप्रार्ची / पत्रावली दिनांक 15.01.15 को पेश हो।	
15.01.15	पीठासीन अधिकारी अम्बकरा भन्सरा N.P. का कार्य में व्यस्त है। पक्ष काशन के अभिलेख उपस्थित हैं। पत्रावली दिनांक 26.02.15 को पेश हो।	
26/2/15	पत्रावली पेश हुई। शव आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 23/3/15 को पेश हो।	
23.03.15	आसि/धक उत्तर पक्ष 05 01 अपीलान्ट के अतिरिक्त अप्रार्ची सं. 668 के सम्मन तलबना पत्रावली पेश की। पत्रावली पुरानी हो पत्रावली दिनांक 22.04.15 को पेश हो। अन्य प्रशा. कार्य में व्यस्त है।	

22.04.15 आसमायक उच्चपक्ष उप० अपीलार्ट
के अध्यक्षता को अपर्चा संख्या 6 से 8
के सम्मन तलवाना पेश करने की
दियायत की गई; पेश होने पर जारी हो
पत्रावली दिनांक 27.05.15 को पेश हो

27.05.15 आसमायक उच्चपक्ष उप० अपीलार्ट
के अध्यक्षता को अपर्चा संख्या 6 से 8
के सम्मन तलवाना पेश करने की
दियायत की गई - पेश होने पर जारी
हो पत्रावली दिनांक 23.06.15
को पेश हो

23.06.15 आसमायक उच्चपक्ष उप० अपीलार्ट
के अध्यक्षता को अपर्चा संख्या 6 से 8
के सम्मन तलवाना पेश करने की
दियायत की गई - पेश होने पर जारी
हो पत्रावली दिनांक 28.07.15 को पेश हो

28.07.15 पत्रावली पेश हुई अपीलार्ट के विद्वान
आसमायक श्री सुरेन्द्र सिंह मनीत
उप० अपीलार्ट के आसमायक, इस
प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं करना
चाहते हैं अर्थात् नॉट प्रेंस करते हैं
अपील खारिज की जाती है तो उन्हें
कोई एतराज नहीं है अपीलार्ट के
आसमायक द्वारा नॉट प्रेंस करने पर
अपील खारिज की जाती है पत्रावली फैसला
मुसकर की जाकर नसबरे कस की जाये व बाद अवसील
विविल दफ्तार हो अर्थात् मुझे न्यायालय में भुगतान करा

Non-Prash
28/7/15